न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

118

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

147
18.5.15

रु.201-

निगरानी 1704-II-15

मानिकलाल गुप्ता पिता स्व0गंगादीन गुप्ता निवासी जीवन ज्योति कालोनी सतना जिला सतना म0प्र0---निगराकार

बनाम

शासन म0प्र0 द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प सतना------------------------गैर निगराकार

बृजेश पाण्डेय 18.5.15

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 56(4) स्टाम्प अधिनियम 1889 विरुद्ध आदेश कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला सतना के राजस्व प्रकरण कमांक-113/बी103/13-14 में पारित आदेश दिनांक 29.01.15

क्रमांक 5509 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक..................को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में निगराकार निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :-

संक्षिप्त तथ्य

यह कि निगराकार का छोटा भाई जगदीश प्रसाद गुप्ता जो सतना सर्वे नंबर 139 में निर्मित गोमती जो दुकाननुमा थी, तथा मौजा कोलगवां में स्थित आराजी नंबर-390/1/38, 391/13 सामिलाती खाते के अन्तर्गत अंकित थी, उसमें निगराकार के भाई द्वारा अपना हिस्सा इकरार के अन्तर्गत छोड़े जाने का लेख दिनांक 31.03.95 को निष्पादित कराया गया, और सम्पूर्ण हक, स्वत्व त्याग किये जाकर निगराकार को सौंप दिये जाने के अर्सा बाद यानि वर्ष 2013 में उक्त दस्तावेज को फर्जी होने के आधार पर उपरोक्त आराजियातों से अधिपत्य प्राप्त किये जाने का व्यवहार वाद 113ए/2013 माननीय पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें निगराकार उपस्थित होने के बाद लेख दिनांक 31.03.95 के आधार पर उक्त आराजियातों में अपने भाई जगदीश प्रसाद का कोई हक, हिस्सा एवं स्वत्व निहित न होने के आधार पर उक्त दस्तावेज को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर जगदीश प्रसाद से प्रतिपरीक्षण किये जाने की अनुमति चाही, जिस पर आपत्ति होने के आधार पर दीवानी न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज को विधिवत मुद्रांकित किये जाने हेतु कलेक्टर आफ स्टाम्प को अग्रेषित किया गया।

जिसमें कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा न्यायालय के पत्र एवं दस्तावेज के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.1704–II/15 जिला–सतना

मानिकलाल गुप्ता/शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
25.04.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	